

103/2016

A3

विविध बैंक प्रकरण सं० 103/2016 ऑरियन्टल बैंक आफ कामर्स
श्रीगंगानगर बनाम संजयकुमार धुवा पुत्र श्री फतेहचंद धुवा निवासी
वार्ड न० 9(नया) पुराना 14, आदर्श कोलोनी, नजदीक शारदा स्कूल,
सूरतगढ


13-02-2017



वकील प्रार्थी उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया यह प्रा० पत्र स्टेट ऑरियन्टल बैंक कॉमर्स श्रीगंगानगर द्वारा श्री संजय कुमार धुवा पुत्र श्री फतेहचंद निवासी वार्ड न० 9 (नया) पुराना 14, आदर्श कोलोनी, नजदीक शारदा स्कूल, सूरतगढ के विरुद्ध धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत आवासीय मकान मार्ट न० 9 (नया) आदर्श कोलोनी, सूरतगढ माप 1000 वर्गफुट का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए पेश किया था और अब प्रार्थी बैंक के अभिभाषक श्री मदन सिडाना ने प्रार्थना की है कि प्रार्थी बैंक इस प्रा० पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं और नॉट प्रेस करते हैं।

चूंकि प्रार्थी बैंक अब इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसलिए यह प्रा० पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13-02-2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्ञाना सम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर